III/निगरानी/मुरैना/भू-रा/2017/1965

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–मुरैना

1– अनिल कुमार शर्मा पुत्र अर्जुनलाल शर्मा हाल निवास दत्त मन्दिर पी.जी.बी. कॉलेज के पास जीवाजी गंज, लश्कर, ग्वालियर म.प्र.

2– नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र अर्जुनलाल शर्मा हाल निवास – विवेक बिहार कालौनी माता मन्दिर के पास घोसी पुरा, ग्वालियर म.प्र.

3– आर.सी. शर्मा पुत्र अर्जुनलाल शर्मा हाल निवास – 120 ए ब्लॉक समाधिया कालौनी तारागंज लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मन्दिर श्री मुरली मनोहर श्री सीताराम जी श्री, मोहन जू, स्थित ग्राम देवपुर तहसील सबलगढ़ द्वारा पुजारी मंहत घनश्याम देवजू पुत्र रामबाबू देवजू निवासी ग्राम – देवपुर माफी तहसील सबलगढ जिला मुरैना (म.प्र.)

...... असल अनावेदकगण

2– हेमन्त शर्मा पुत्र हरिकृष्ण

3– बन्टी उर्फ यशशर्मा उर्फ छोटेलाल शर्मा निवासी – दत्त मन्दिर पी.जी.कॉलेज के पास जीवाजी गंज लश्कर, ग्वालियर म. प्र.

4– नरेश शर्मा पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी – विवेक बिहार कालौनी माता मन्दिर के पास घोसीपुरा, ग्वालियर (म. प्र.)

......तरतीवी अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 255/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1965–दो/2017 निगरानी जिला मुरैना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 255/16–17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22–6–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के प्रकरण क्रमांक 66/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–6717 के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी तथा अपील मेमो के साथ धारा 52 का आवेदन देकर परिस्थितियॉ बताते हुये स्थगन की मांग की थी, किन्तु अपर आयुक्त चंबल संभाग ने दूसर पक्ष को सुने बिना स्थगन देने से गलत आधारों पर इंकार किया है एंव स्थगन आवेदन व्यर्थ अमान्य किया है इसलिये अपर आयुक्त का अंतरिम आदेश दिनांक 22–6–17 निरस्त करके आवेदकगण के हित में स्थगन प्रदान किया जावे। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने अंतरिम आदेश दिनांक 22–6–17 से आवेदकगण का धारा 52 का आवेदन अमान्य किया है, किन्तु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 में व्यवस्था दी गई है कि किसी आदेश का निष्पादरन तभी रोका जाएगा जब व्यथित पक्षकार को ऐसी अपिरमार्जनीय क्षति की संभावना हो जिसका समुचित परिमार्जन न किया जा सके।	

इसके अतिरिक्त धारा 52 की व्याख्या करते हुये चन्द्रिका प्रसाद विरूद्व म0प्र0 राज्य में निर्णीत किया गया है कि रोक आदेश देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। इस विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए और रोक के बारे में किए गए आदेश से प्रकट होना चाहिये कि न्यायालय ने मामले के तथ्यों और विवादित प्रश्नों पर विचार किया है। अपर आयुक्त चंबल संभाग ने संहिता की धारा 52 का आवेदन द्वित्तीय पक्ष को श्रवण करने तक के लिये अमान्य किया है जिसके कारण अपर आयुक्त व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22–6–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य